संख्या-21/2016/2407/71-आयुष-2-2016-108/2014टी0सी0-1

प्रेषक,

यतीन्द्र मोहन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी,
लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 27 सितम्बर, 2016

विषय:- राज्य आयुष मिशन के 02 नबीउल्लाह मार्ग स्थिति कार्यालय के सुदृढीकरण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-340/18/मि0नि0/2015-16, दिनांक 21.09.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य आयुष मिशन के 02 नबीउल्लाह रोड स्थित कार्यालय के सुदृढीकरण हेतु उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा गठित आगणन रू0 189.58 लाख (रू0 एक करोडन नवासी लाख अठावन हजार मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-589/71-आयुष-2-2016-108/2014 टी0सी0-। दिनांक 22.03.2016 द्वारा रू0 89.73 लाख की धनराशि की स्वीकृति निर्गत की गयी थी। तत्क्रम में प्रश्नगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके निवर्तन पर राज्य आयुष सोसाइटी के बचत खाते मे रखी गयी धनराशि मे से द्वितीय किस्त /अवेशष धनराशि रू0 90.00 लाख का व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है-:

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमित्ता मानी जायेगी।
2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
3- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0एल0/बैक खाते में नही रखा जायेगा।
4- वित्त बजट-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से मिशन निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व मे किसी अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

6- प्रश्नगत स्वीकृति इस शर्त के अधीन की जा रही है कि इस परियोजना पर आगामी स्वीकृति तभी प्रदान की जाएगी, जब इस धनराशि एवं पूर्व स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमामपत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराया जायगा।

7- प्रश्नगत कार्य में सुसंगत नियमों का अनुपालन मिशन निदेशक द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय राज्य आयुष सोसाइटी के बचत खाते में मिशन निदेशक राज्य आयुष सोसाइटी के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22-3-2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव।

संख्या- /2016/2407(1)/71-आयुष-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार,नई दिल्ली।
3- मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
5- वित्त प्रबन्धक, राज्य आयुष सोसाइटी उ0प्र0 लखनऊ
6- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ द्वारा मिशन निदेशक राज्य आयुष सोसाइटी उ0प्र0 लखनऊ ।
7- निदेशक, आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम प्रकाश नारायण)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।